

## कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया (म.प्र.)

क्रमांक:- 56 /2021

दतिया दिनांक:- २७-०१-२०२१

### ॥ आदेश ॥

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत माह फरवरी 2021 में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक/घोषित अवकाश) में रिमांड इयूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण अपने-अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह ते दी गई तिथि पर दिन के 03:00 बजे से उपस्थित होकर शाम 05:00 बजे तक संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा।

### जिला न्यायालय (मुख्यालय) दतिया

क्र.	न्यायाधीश का नाम	फरवरी- 2021
1	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया म.प्र.	07
2	सु.श्री. ऋचा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया म.प्र.	14
3	सुश्री दीक्षा दोहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया म.प्र.	20
4	सुश्री गुंजन गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	21
5	सुश्री स्वाती चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	28

### न्यायालय सेवदा (दतिया)

क्र.	न्यायाधीश का नाम	फरवरी- 2021
1	श्री लवकेश सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा जिला दतिया म.प्र.	07
2	श्री आशीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा जिला दतिया म.प्र.	20,21
3	सुश्री अपूर्वा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेवदा जिला दतिया म.प्र.	14,28

### न्यायालय भाण्डेर (दतिया)

क्र.	न्यायाधीश का नाम	फरवरी- 2021
1	श्रीमती ऋचि सगर, जे.एम.एफ.सी. भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.	07,14
2	श्री वेद प्रकाश सगर, जे.एम.एफ.सी. भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.	20,21,28

### आवश्यक निर्देशः-

- सामान्य कार्यदिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है तो उक्त अवकाश दिनांक को, उपरोक्त उल्लेखित अवकाश घोषित होने के पूर्व रिमांड इयूटी कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वर्णित आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।
- इसी प्रकार यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त

- किया जाता है तो उक्त दिनांक के लिए नियत की रिमांड ड्यूटी निरस्त मानी जायेगी।
3. यदि किसी व्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण/प्रमोशन होता है तो उसके स्थान पर आने वाले व्यायिक अधिकारी, पूर्व अधिकारी की भाँति उक्त कार्य संपादित करेंगे। यदि स्थानांतरण/प्रमोशन होने वाले व्यायिक अधिकारी के स्थान पर कोई अधिकारी नहीं आता है तो मुख्य व्यायिक मजिस्ट्रेट के मौखिक या लिखित निर्देशानुसार मुख्यालय पर उपस्थित कोई भी व्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे।
  4. रिमांड ड्यूटी हेतु आवश्यक कार्य में रिमांड, सुपुर्दगी एवं जमानत आवेदन आदि की सुनवाई एवं निराकरण समिलित रहेंगे।
  5. सेवढ़ा एवं भाण्डेर व्यायालय के समस्त व्यायाधीशगण के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने पर रिमांड हेतु मामले जिला मुख्यालय दतिया पर रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
  6. रिमांड ड्यूटी हेतु नियोजित दिनांक को संबंधित व्यायिक अधिकारी को किसी आकस्मिकता की विवादित उत्पन्न होने पर मुख्य व्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया को पूर्व लिखित सूचना दी जाकर स्थापना पर पदस्थ अन्य व्यायिक अधिकारी की सहमति से रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकती है।
  7. वर्तमान में जिला दतिया में किशोर व्यायालय बोर्ड में कोई सदस्य नियुक्त नहीं है। जिला न्यायालय दतिया स्थापना पर पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किशोर न्याय(बालको की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम 2015 के अंतर्गत निर्भित नियमों के तहत एक वर्ष संस्थानिक प्रशिक्षण म.प्र. न्यायिक अकादमी जबलपुर प्राप्त किया हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अवकाश दिवस गें किशोर व्यायालय से संबंधित रिमांड एवं अन्य आवश्यक प्रकृति का कार्य रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

उम्मीदित

Santosh  
जिला एवं सत्र व्यायाधीश

~~कृतिमा (म.प्र.)~~ पृष्ठांकन कर्माकार

/2021

रोहित सिंह  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 12021  
जिला— दतिया म.प्र.

दतिया दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल म.प्र. उच्च व्यायालय जबलपुर।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (म.प्र.) उच्च व्यायालय खण्डपीठ ज्वालियर।
3. कार्यालय जिला एवं सत्र व्यायाधीश दतिया (म.प्र.)।
4. माननीय जिला व्यायाधीश (सर्तकता) ज्वालियर (म.प्र.)।
5. माननीय विशेष व्यायाधीश (एट्रोसिटीज) दतिया (म.प्र.)।
6. समस्त व्यायालय - ..... व्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया/सेवढ़ा/भाण्डेर (दतिया)।
7. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक दतिया एवं एस.डी.ओ.पी. दतिया, बड़ौनी, सेवढ़ा एवं भाण्डेर।
8. जिला अभियोजन अधिकारी दतिया (म.प्र.)।
9. सचिव वार एसोसियेशन दतिया, सेवढ़ा एवं भाण्डेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से प्रेषित।

रोहित सिंह  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला— दतिया म.प्र.